प्रश्न सं. [क. 2072]

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 35)

26 अगस्त 2009

छह वर्ष से चौदह वर्ष तक आयु के सभी बालकों के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार,राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4) बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदत्त करने वाले इस अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के प्रावधानों के अधीन लागू होंगे।

(5) इस अधिनियम में समाहित कोई प्रावधान मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और प्रमुख रूप से धार्मिक शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "समुचित सरकार" से,–

(i) केन्द्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के,जिसमें कोई बिधान–मंडल नहीं है, प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार.,

(ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न,–

(क) किसी राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में,राज्य सरकार.,

(ख) विधान–मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, अभिप्रेत है.,

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष–3)

18. (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएंगा या कार्य नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तें के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगाः

परंतु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदान नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

(3) मान्यता की शर्तो के उल्लंघन पर,विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, मान्यता वापस ले लेगाः

परंतु ऐसे आदेश में आसपास के उस विद्यालय के बारे में निर्देश होगा जिसमें गैर–मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगाः

परंतु यह और कि ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को,ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।

(4) ऐसा विद्यालय, उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा।

[redacted]

16-2-21